न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायालय, सुपौल।

SC/ST Case No.- 17/2021
Pipra P.S. Case No. 60/2021

09/08/2023

अभिलेख आज संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई वास्ते प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि है कि प्रस्तुत वाद सूचक श्रवण सादा के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त 1. संजीत कुमार सिंह उर्फ बौआ सिंह 2. कृष्णा चौधरी, 3. विकाश कुमार के विरूद्व धारा 385, 323, 325, 427, 385, 34 भा0दं0वि0 एवं 3(i)(r)(s) SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्त्ता द्वारा प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. कृष्णा चौधरी एवं 2. विकास कुमार के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए नामजद अभियुक्त 1. संजीत कुमार सिंह उर्फ बौआ सिंह के विरूद्व धारा 341, 323, 325, 427, 385/34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(s) SC/ST एक्ट के अंतर्गत मूल आरोप पत्र सं0 449/2022 दिनांक 07/12/2022 समर्पित किया गया और तत्पश्चात् नामजद अभियुक्त विकास कुमार को मृत दिखाते हुए अभियुक्त कृष्णा चौधरी उर्फ किशन चौधरी के विरूद्व धारा 341, 323, 325, 427, 385/34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(s)/3(2)(va) SC/ST एक्ट के अंतर्गत पूरक आरोप पत्र सं0 153/23 दिनांक 28/04/2023 समर्पित किया गया।

प्राथमिकी, मूल एवं पूरक आरोप पत्र एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। दैनिकी के कंडिका 6, 7, 8, 23 एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री से मूल एवं पूरक आरोप पत्र के कंडिका 11 में वर्णित अभियुक्तों के विरूद्व अग्रिम कार्यवाही वास्ते अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

अतः आरोप पत्र की कंडिका 11 में वर्णित **अभियुक्तों 1. संजीव कुमार सिंह उर्फ बौआ सिंह, 2. कृष्णा चौधरी उर्फ किशन चौधरी के विरूद्व धारा 341, 323, 325, 427, 385/34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(s) SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।** वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति वास्ते सम्मन निर्गत करें। दिनांक 23/08/23 उपस्थिति वास्ते।

Nishi Kant Thakur 9/8/23

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष
न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सुपौल